

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-754/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(97)-2013
लखनऊ: दिनांक: 07 जून, 2013

शुद्धि-पत्र

दिनांक 22 मई, 2013 के उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण गजट में संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित उसी दिनांक की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-606/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(95)-2013 के

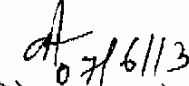
(क) हिन्दी पाठ में उक्त अधिसूचना के खण्ड (ख) में, उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-दो भाग-क में कम संख्या 7 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि पढ़ी जाय:-

“ कीमती धातुओं से बने बर्तनों, सिरेमिक वेयर्स तथा ग्लास वेयर्स के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के बर्तन, जिसमें प्रेशर कुकर/कढ़ाई भी सम्मिलित है; कलात्मक पीतल के सामान एवं इंगट्स (गुल्ली); चम्मच। ”

(ख) अंग्रेजी पाठ में उपर्युक्त अधिसूचना के खण्ड (b) में, उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-दो भाग-क में कम संख्या 7 की प्रविष्टि में शब्द “ glasswares ” के स्थान पर शब्द तथा अर्द्ध विराम “glasswares ; ” पढ़ा जाय।

2. संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 के पत्र संख्या-क0नि0-2-701/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(96)-2013 लखनऊ, दिनांक: 30 मई, 2013 द्वारा जारी शुद्धि पत्र उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।